

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 649/2011 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 18.08.2011

फाइलिंग नंबर : 230303004872011

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—इन्दल उर्फ इन्द्रभान उर्फ देवेन्द्रसिंह पुत्र रघुनाथसिंह
गुर्जर उम्र 40 वर्ष
- 2—भानू उर्फ भानुप्रतापसिंह पुत्र औतारसिंह गुर्जर उम्र 45
वर्ष
- 3—महीपा उर्फ महीपति पुत्र श्यामलाल गुर्जर उम्र 40 वर्ष
- 4—रामवीरसिंह पुत्र बाबूसिंह गुर्जर उम्र 35 वर्ष
- 5—राजू उर्फ राजवीर पुत्र हाकिमसिंह गुर्जर उम्र 36 वर्ष
- 6—कल्ली उर्फ कलियान पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपालसिंह
गुर्जर उम्र 37 वर्ष
- 7—राजकुमार पुत्र राधेश्यामसिंह गुर्जर उम्र 28 वर्ष समस्त
जाति गुर्जर, समस्त निवासीगण ग्राम भूरे का पुरा
थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्तगण

(आरोप अंतर्गत धारा—457, 380 भा0द0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य)

(आरोपी राजकुमार,इन्दर,रामवीर,राजूभानू द्वारा अधिवक्ता—श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव)

(आरोपी महीपत व कल्ली द्वारा अधिवक्ता श्री आर0पी0एस0गुर्जर)

निर्णय

(आज दिनांक 02-11-2017 को घोषित)

आरोपीगण पर दिनांक 30.09.10 को रात्रि लगभग 01 बजे ग्राम पड़राई के
पुरा में फरियादी मेघसिंह के निवासगृह में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात

चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रोगृहभेदन कारित करने एवं उसी समय फरियादी मेघसिंह के निवासगृह से उसके आधिपत्य की एक भैंस कीमत लगभग चालीस हजार रुपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 457, 380 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 30.09.10 को फरियादी मेघसिंह अपने घर में सो रहा था। रात के करीब एक बजे उसके भाई नन्दकिशोर एवं रामबाबू ने घर पर आकर उसे जगाकर बताया था कि उनकी भैंस को भूरे के पुरा के राजकुमार, कल्ली, इन्द्रसिंह एवं तीन अज्ञात लोग चुराकर ले गये हैं वह अन्य लोगों के साथ भैंस की खोज में भूरे का पुरा पहुंचा था एवं आरोपी राजकुमार, कल्ली, तथा इन्द्रसिंह के घरवालों से भैंस वापिस करने के लिए कहा था तो आरोपीगण भैंस वापिस करने के लिए कहते रहे थे दिनांक 09.10.10 को आरोपीगण ने भैंस वापिस करने से मना कर दिया था तो उसने दिनांक 09.10.10 को थाने पर रिपोर्ट की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना एण्डोरी में अप0क्र0 90/10 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 30.09.10 को रात्रि लगभग एक बजे ग्राम पड़राई के पुरा में फरियादी मेघसिंह के निवासगृह में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रोगृहभेदन कारित किया ?

2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय एवं स्थान पर फरियादी मेघसिंह के निवासगृह से उसके आधिपत्य की एक भैंस कीमत लगभग चालीस हजार रुपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी मेघसिंह अ0सा01, साक्षी रामबाबू अ0सा02, नन्दकिशोर अ0सा03, रामसिंह अ0सा04, सिद्धार्थ अ0सा05, आकाश शर्मा अ0सा06, कल्लू अ0सा07, हरेन्द्र अ0सा08, शिशुपाल अ0सा09, रोशनसिंह अ0सा010, नवलसिंह अ0सा011, हरगोविन्दसिंह अ0सा012, एन0पी0गौड़ अ0सा013, एवं जीवनलाल माहौर अ0सा014 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को

परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी मेघसिंह अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 3-4 साल पहले उसकी भैंस छूट गयी थी उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि किसने छोर ली थी फिर उसने थाने पर जाकर रिपोर्ट की थी। उसे मालूम नहीं है कि उसकी भैंस कैसी थी एवं कितने कीमत की थी। प्र0पी-1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने हस्ताक्षर कहा कि ए थे उसे ध्यान नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी द्वारा व्यक्त किया गया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि उसे उसके भाई नन्दकिशोर, रामबाबू ने हार से आकर जगाकर बताया था कि उसकी भैंस को आरोपी राजकुमार, कल्ली, इन्द्रसिंह एवं तीन अज्ञात लोग चुराकर ले गये हैं। ऐसा भी नहीं हुआ था कि वह लोग भैंस ढूँढते हुए भूरे का पुरा पहुंचे थे एवं आरोपी राजकुमार, कल्ली और इन्द्रसिंह के घरवालों से भैंस वापिस करने के लिए कहा था तो उन्होंने भैंस वापिस नहीं की थी।

9. साक्षी रामबाबू अ0सा02 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है उसके न्यायालयीन कथन से 3-4 साल पहले रात्रि में भैंस छूट गयी थी। उसे जानकारी नहीं है कि भैंस किसने छोर ली थी। नन्दकिशोर अ0सा03 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी राजकुमार कल्ली इन्द्रसिंह को नहीं जानता है। मेघसिंह की भैंस चोरी चली गयी थी उसकी भैंस को कोई चुराकर ले गया था। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी कल्ली, इन्द्रसिंह, राजकुमार एवं तीन अज्ञात चोर उसकी भैंस को चुराकर ले जा रहे थे तथा इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण के घरवालों से भैंस वापिस करने के लिए कहा था।

10. साक्षी रामसिंह अ0सा04, सिद्धार्थ अ0सा05, आकाश शर्मा अ0सा06, कल्लू अ0सा07, हरेन्द्र अ0सा08, शिशुपाल अ0सा09, रोशनसिंह अ0सा010, नवलसिंह अ0सा011, जोकि अभियोजन कहानी के अनुसार जप्ती, मैमोरेण्डम एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के साक्षी हैं ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि पुलिस ने उनके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी। साक्षी रामसिंह अ0सा04 ने मैमोरेण्डम प्र0पी-6, जप्ती पंचनामा प्र0पी-7 एवं मकान तलाशी पंचनामा प्र0पी-8 के क्रमशः ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी सिद्धार्थ अ0सा05 ने जप्ती पंचनामा प्र0पी-9 एवं 10, गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-11 एवं 12, मैमोरेण्डम प्र0पी-13 एवं

14 तथा मकान तलाशी पंचनामा प्र0पी-15 के क्रमशः ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी आकाश शर्मा अ0सा06 द्वारा जप्ती पंचनामा प्र0पी-9 के बी से बी भाग पर एवं मैमोरेण्डम प्र0पी-14 के डी से डी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। हरेन्द्र अ0सा08 ने जप्ती पंचनामा प्र0पी-16, 17, मैमोरेण्डम प्र0पी-18 एवं 19 तथा तलाशी पंचनामा प्र0पी-20, 21, 22 के क्रमशः ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी शिशुपाल अ0सा09 ने जप्ती पंचनामा प्र0पी-16 एवं 17 तथा मैमोरेण्डम प्र0पी-18 एवं 19 के क्रमशः बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी कल्लू अ0सा07 ने मैमोरेण्डम प्र0पी-13 तथा प्र0पी-14, 15 एवं 10 पर अपने हस्ताक्षरों से इंकार किया है। साक्षी रोशनसिंह अ0सा010 ने प्र0पी-20 के मैमोरेण्डम एवं प्र0पी21 के जप्ती पंचनामे पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। साक्षी नवलसिंह अ0सा011 ने मैमोरेण्डम प्र0पी-20 एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी-21 पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

11. एस0आई0 जीवनलाल माहौर अ0सा014 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने विवेचना के दौरान दिनांक 09.10.10 को घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने फरियादी मेघसिंह, साक्षी रामबाबू एवं नन्दकिशोर के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किए थे। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि इसके बाद केस डायरी विवेचना हेतु प्र0आरक्षक राधाकिशन के सुपुर्द की थी। प्र0आरक्षक राधाकिशन की मृत्यु हो चुकी है। प्र0आरक्षक राधाकिशन ने दिनांक 13.12.10 को आरोपी इन्दलसिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-22 बनाया था जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही राधाकिशन ने आरोपी इन्दल से पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्र0पी-23 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 15.12.10 को प्र0आरक्षक राधाकिशन ने आरोपी इन्दल से एक हजार रुपये जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-7 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 26.12.10 को उन्होंने आरोपी भानू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-11 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं भानू से पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्र0पी-13 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। आरोपी भानू से पांच सौ रुपये जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-10 प्र0आरक्षक राधाकिशन ने बनाया था जिसके सी से सी भाग पर राधाकिशन के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27.12.10 को प्र0आरक्षक राधाकिशन ने आरोपी महीपत को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-12 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। आरोपी महीपत के मैमोरेण्डम प्र0पी-14 के ई से ई भाग पर प्र0आरक्षक राधाकिशन के हस्ताक्षर हैं। जप्ती पंचनामा प्र0पी-9 के सी से सी भाग पर प्र0आरक्षक राधाकिशन के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 28.12.10 को प्र0आरक्षक राधाकिशन ने आरोपी रामवीर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-24 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी रामवीर के मैमोरेण्डम प्र0पी-18, जप्ती पंचनामा प्र0पी-16 के क्रमशः

सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। आरोपी राजू के गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-25 के ए से ए भाग पर एवं मैमोरेण्डम प्र0पी-19 के सी से सी भाग पर प्र0आरक्षक राधाकिशन के हस्ताक्षर हैं। आरोपी कल्ली के गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-26 के ए से ए भाग पर प्र0आरक्षक राधाकिशन के हस्ताक्षर हैं। मकान तलाशी पंचनामा प्र0पी-8 के बी से बी भाग पर एवं प्र0पी-15 के सी से सी भाग पर तथा प्र0पी-22 के बी से बी भाग पर प्र0आरक्षक राधाकिशन के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि राधाकिशन द्वारा किस किस दिनांक को कौन कौन सी कार्यवाही की गयी है उसे जानकारी नहीं है वह तो केवल उनके हस्ताक्षरों को पहचानता है।

12. ए0एस0आई0 एन0पी0गौड़ अ0सा013 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसके सामने दिनांक 29.12.10 को आरोपी रामवीर से पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्र0पी-18 बनाया गया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी राजू से पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्र0पी-19 बनाया गया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. सेवानिवृत्त एसआई हरगोविन्दसिंह अ0सा012 ने प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है।

14. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षण साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

15. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी मेघसिंह अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 3-4 साल पहले रात के समय उसकी भैंस छूट गयी थी। उसे जानकारी नहीं है कि उसकी भैंस किसने छोर ली थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि ऐसा नहीं हुआ है कि उसकी भैंस को आरोपी राजकुमार, कल्ली, इन्दलसिंह एवं अन्य तीन लोग चुराकर ले गये हों एवं ऐसा भी नहीं हुआ था कि उसने आरोपी राजकुमार, कल्ली, इन्दलसिंह के घरवालों से भैंस वापिस करने के लिए कहा था और उन्होंने भैंस वापिस नहीं की थी। साक्षी रामबाबू अ0सा02 एवं नन्दकिशोर अ0सा03 ने भी यह व्यक्त किया है कि फरियादी मेघसिंह की भैंस छूट गयी थी परन्तु उन्हें यह जानकारी नहीं है कि मेघसिंह की भैंस किसने छोर ली थी। उक्त दोनों साक्षियों को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त दोनों साक्षियों ने इस तथ्य से इंकार किया है कि उन्होंने मेघसिंह को यह बताया था कि आरोपी राजकुमार, कल्ली एवं इन्द्रसिंह ने मेघसिंह की भैंस चुरा ली थी।

16. यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी मेघसिंह अ0सा01 द्वारा प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी राजकुमार, कल्ली, इन्दलसिंह एवं तीन अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी है तथा प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आरोपी मेघसिंह को उसके भाई रामबाबू तथा नन्दकिशोर ने आरोपी राजकुमार, कल्ली तथा इन्दलसिंह द्वारा भैंस चोरी करके ले जाने वाली बात बतायी

थी जबकि फरियादी मेघसिंह अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है तथा उसे जानकारी नहीं थी कि उसकी भैंस किसने चुरा ली थी। साक्षी रामबाबू अ0सा02 एवं नन्दकिशोर अ0सा03 द्वारा भी यह व्यक्त किया गया है कि भैंस को कौन चुराकर ले गया था उन्हें जानकारी नहीं है। इस प्रकार फरियादी मेघसिंह अ0सा01 के कथन प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी मेघसिंह अ0सा01 एवं साक्षी रामबाबू अ0सा02 तथा नन्दकिशोर अ0सा03 द्वारा आरोपी राजकुमार, कल्ली एवं इन्दलसिंह द्वारा चोरी किए जाने से इंकार किया गया है उक्त साक्षीगण द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

17. जहां तक साक्षी रामसिंह अ0सा04, सिद्धार्थ अ0सा05, आकाश अ0सा06, कल्लू अ0सा07, हरेन्द्र अ0सा08, शिशुपाल अ0सा09, रोशनसिंह अ0सा010 एवं नवलसिंह अ0सा011 के कथनों का प्रश्न है तो उक्त सभी साक्षी अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपीगण के गिरफ्तारी, जप्ती एवं मैमोरेण्डम के साक्षी हैं परन्तु उक्त सभी साक्षीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि पुलिस ने उनके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की थी। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी द गोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन द टटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

18. जहां तक एस0आई0 जीवनलाल माहौर अ0सा014 एवं एन0पी0 गौड अ0सा013 के कथन का प्रश्न है तो एस.आई. जीवनलाल माहौर अ0सा014 ने जप्ती, गिरफ्तारी एवं मैमोरेण्डम पर मृतक प्र0आरक्षक राधाकृष्ण के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार फरियादी मेघसिंह की भैंस चोरी हुई थी एवं फरियादी मेघसिंह द्वारा आरोपी राजकुमार, कल्ली तथा इन्दलसिंह के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट की गयी थी परन्तु न्यायालय के समक्ष अपने कथन में फरियादी मेघसिंह अ0सा01 द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपी राजकुमार, कल्ली, इन्दलसिंह ने उसकी भैंस चोरी की थी एवं इस तथ्य से भी इंकार किया गया है कि आरोपी राजकुमार, कल्ली तथा इन्दलसिंह के घरवालों ने उसकी भैंस वापिस करने से मना किया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में पुलिस द्वारा कोई भैंस जप्त नहीं की गयी है। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी महीपत, भानु, रामवीर, राजकुमार, एवं राजवीर से रुपये जप्त कर जप्ती पंचनामा क्रमशः प्र0पी-8, प्र0पी-10, प्र0पी-16, प्र0पी-21 एवं प्र0पी-17 तैयार किया जाना बताया गया है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण भैंस चोरी का है एवं प्रकरण में पुलिस द्वारा भैंस जप्त नहीं की गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार आरोपी राजकुमार से दिनांक 21.02.12 को द.प्र.स. की धारा 27 के अंतर्गत पूछताछ कर मैमोरेण्डम लिया गया है तथा उक्त मैमोरेण्डम में आरोपी राजकुमार ने भैंस कुंवरसिंह गुर्जर को बेच देना बताया है परन्तु पुलिस द्वारा उक्त संबंध में कोई विवेचना नहीं की गयी है। भानू उर्फ भानूप्रताप, इन्दलसिंह, महीपत, रामवीरसिंह

तथा राजो उर्फ राजवीर ने अपने मैमोरेण्डम में उक्त भैंस आरोपी कल्ली के पास होने बाबत कथन दिया है परन्तु आरोपी कल्ली से विवेचना के दौरान चोरी के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की गयी है ना ही आरोपी कल्ली का धारा 27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत कोई ज्ञापन लिया गया है। प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में भैंस को जप्त करने की दिशा में कोई विवेचना नहीं की गयी है भैंस को जप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। प्रकरण में आरोपी महीपत, भानू, रामवीर, राजवीर एवं राजकुमार से पैसों की जप्ती की गयी है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण पैसों की चोरी का नहीं है बल्कि भैंस चोरी का है। प्रकरण में भैंस को खोजने के संबंध में कोई विवेचना नहीं की गयी है। प्रकरण में भैंस जप्त नहीं की गयी है एवं प्रस्तुत प्रकरण पैसों की चोरी का नहीं है ऐसी स्थिति में मात्र आरोपीगण से पैसे जप्त होने के कारण यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपीगण द्वारा ही भैंस की चोरी की गयी थी।

19. उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी राजकुमार, कल्ली एवं इन्दलसिंह के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट की गयी थी परन्तु फरियादी मेघसिंह अ0सा01, रामबाबू अ0सा02 एवं नन्दकिशोर अ0सा03 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। शेष साक्षी रामसिंह अ0सा04, सिद्धार्थ अ0सा05, आकाश शर्मा अ0सा06, कल्लू अ0सा07, हरेन्द्र अ0सा08, शिशुपाल अ0सा09, रोशनसिंह अ0सा010, नवलसिंह अ0सा011 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। एस0आई0 जीवनलाल माहौर अ0सा014 द्वारा मात्र प्र0आरक्षक राधाकिशन के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया गया है। प्रकरण भैंस चोरी का है एवं प्रकरण में भैंस जप्त नहीं की गयी है। फरियादी मेघसिंह अ0सा01 ने भी आरोपीगण द्वारा भैंस की चोरी करने के तथ्य से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

20. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 30.09.10 को रात्रि लगभग एक बजे ग्राम पडराई के पुरा में फरियादी मेघसिंह के निवासगृह में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रोगृहभेदन कारित किया एवं उसी समय फरियादी मेघसिंह के निवासगृह से उसके आधिपत्य की एक भैंस कीमत लगभग चालीस हजार रुपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी इन्दल उर्फ इन्द्रभान, भानू उर्फ भानुप्रतापसिंह, महीपा उर्फ महीपतसिंह, राजू उर्फ राजवीरसिंह, कल्ली उर्फ कलियानसिंह, रामवीरसिंह, एवं राजकुमारसिंह को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें भा0द0स0 की धारा 457 एवं 380 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

22. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

23. प्रकरण में जप्तशुदा 3400/-रूपये अपील अवधि पश्चात विधि अनुसार राजसात किए जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक –02.11.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)